न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :–सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

सं. 176/2021
सीएमएस : 2021/454

1. रेशमा पत्नी श्री गोपीराम उर्फ गोपालराम जाति नायक साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर हाल निवासी भारेवाला तहसील पोकरण जिला बीकानेर।
2. प्रेमकुमार पुत्र श्री गोपीराम उर्फ गोपालराम जाति नायक साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर नव सर्जित जिला अनूपगढ़ राज.।
3. सजना पुत्री श्री गोपीराम उर्फ गोपालराम पत्नी जीतराम जाति नायक साकिन 18 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. विद्या पुत्री श्री गोपीराम उर्फ गोपालराम पत्नी देवीलाल जाति नायक साकिन 4 एसएलडी (शेरपूरा) तहसील छत्रगढ़ जिला बीकानेर राज.।
5. शारदा पुत्री श्री गोपीराम उर्फ गोपालराम पत्नी मदनलाल जाति नायक साकिन मोहनगढ़ तहसील मोहनगढ़ जिला जैसलमेर राज.। –:प्रार्थीगण

बनाम

1. हंसराज पुत्र श्री पतराम जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर नव सृजित जिला अनूपगढ़ राज.।
2. भजनलाल पुत्र श्री पतराम जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर नव सर्जित जिला अनूपगढ़ राज.– मृतक।
   2/1. रामनिवास पुत्र श्री भजनलाल जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर नव सृजित जिला अनूपगढ़ राज.।
   2/2. रामकुमार पुत्र श्री भजनलाल जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर नव सृजित जिला अनूपगढ़ राज.।
3. बनवारीलाल पुत्र श्री पतराम जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर नव सृजित जिला अनूपगढ़ राज.। मृतक।
   3/1. नत्थुराम पुत्र श्री बनवारीलाल जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर नव सृजित जिला अनूपगढ़ राज.।
4. वेदप्रकाश पुत्र श्री हेतराम जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर नव सृजित जिला अनूपगढ़ राज
5. भजनलाल पुत्र श्री ज्ञानाराम जाति नायक साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर नव सृजित जिला अनूपगढ़ राज.।
6. गोरीदेवी पुत्री श्री ज्ञानाराम जाति नायक साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर नव सृजित जिला अनूपगढ़ राज.।
7. राजेश्वरीदेवी पत्नी सुभाष जाति मेघवाल साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर नव सृजित जिला अनूपगढ़ राज.।
8. मनोहरी पत्नी राजाराम जाति मेघवाल साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर नव सृजित जिला अनूपगढ़ राज.।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। –:अप्रार्थीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

तारीख रजू 15.09.2021

उपस्थित अधिवक्तागण
1. श्री राजेश धारणियां प्रार्थी अधिवक्ता।
2. श्री रणवीरसिंह बिश्नोई अधि. अप्रार्थी सं. 1–5।
3. अप्रार्थी सं. 4–6 ता 8 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांक :–01.10.2025

–: <u>निर्णय</u> :–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी संख्या 1 के ससुर व प्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 के दादा मघाराम पुत्र बुधाराम जाति नायक साकिन उड़सर के नाम से वाके चक 1 एम.के.बी. के मु.नं. 22 के कि.नं. 4/0.253

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 16:21:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधि... रायसिंहनग...

AnyScanner

5/0.177, 6/0.253, 7/0.202, 14/0.253, 15/0.253, 16/0.127, 17/0.253, 18/0.253, कुल 2.024 है. अर्थात 8 बीघा व मु.नं. 32 के कि.नं. 1/0.253, 2/0.253, कुल 0.506 कुल योग 2.530 है. अर्थात 10 बीघा भूमि पुख्ता आवंटित होकर दिनांक 03.10.1987 को खातेदारी दर्ज हुई है। आवंटी मघाराम की मृत्यु हो जाने पर विवादित भूमि का विरासतन इन्तकाल मु. मामकौरी बेवा मघाराम, गोपीराम पुत्र मघाराम, गौरीदेवी व केसरीदेवी पुत्रीयां मघाराम के नाम से ब.हि.ब. दिनांक 23.04.2001 को दर्ज हुआ। जरिये दस्तबरदारी दिनांक 26.02.1988 केसर देवी गौरीदेवी बहक मामकोरी बेवा मघाराम व गोपीराम पुत्र मघाराम के पक्ष में छोड़ दिया जिसके आधार पर दिनांक 23.04.2001 को विवादित भूमि का इन्तकाल मामकोरी व गोपीराम के नाम से ब.हि.ब. दर्ज हुआ। इसके बाद मामकौरी की भी मृत्यु हो गई और उसका 1/2 हिस्सा विरासतन बहिस्सा बराबर–बराबर गोपीराम व गौरीदेवी के नाम से दिनांक 11.06.2007 को दर्ज हुआ इस प्रकार गोपीराम के हिस्सा में विरास्तन 1.897 है. व गौरीदेवी के हिस्सा में 0.633 है. अर्थात कुल 2.530 है. भूमि दर्ज हुई। गोपीराम व गौरीदेवी जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है जो अनुसूचित जाति के सदस्य थे तथा प्रार्थीया संख्या 1 गोपीराम मृतक की विधवा पत्नी है तथा प्रार्थी संख्या 2 ता 5 मृतक गोपीराम के पुत्र व पुत्रीयां है तथा अनुसूचित जाति (नायक) की श्रेणी में आती है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 जाति से बिश्नोई है तथा गैर अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते है तथा इसी चक में अन्यत्र भूमि धारण करते है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने विवादित भूमि को हड़पने के लिए अप्रार्थी संख्या 5 से मिलकर षडयंत्र रच रखा है। उक्त षडयंत्र को कामयाब कर विवादित भूमि पर अवैध कब्जा व काश्त करने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने दिनांक 31.08.2007 को एक फर्जी मुख्तयारनामा गोपीराम की जगह किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके अप्रार्थी संख्या 5 भजनलाल के हक में नोटटीर जोगेन्द्रसिंह मोंगा से तस्दीक करवाया तथाकथित मुख्ययारनामां पर गोपीराम ने कभी अंगूठे/हस्ताक्षर नहीं किये इसके बाद में तथाकथित फर्जी मुख्तयारनामां को जरिये प्र.सं. 413/9 दिनांक 15.05.2009 को मुद्रांक कलक्टर हनुमानगढ़ से पूर्ण मुद्रांक पर होना घोषित करवाया यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि किसी भी अवैध व फर्जी दस्तावेज को पूर्ण मुद्रांक पर होना घोषित करवाने से वह दस्तावेज वैध नहीं हो जाता बल्कि ऐसे दस्तावेज की प्रकृति तो अवैध एवं फर्जी ही रहती है। फर्जी व कूटरचित दस्तावेज मुख्तयारनामां का सहारा लेकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 ने मिलकर, षडयंत्र पूर्वक दिनांक 04.05.2010 को अप्रार्थीगण संख्या 5 ने एक कूटरचित बैयनामां तरसेमसिंह पुत्र भजनलाल मलकीतसिंह के नाम से पंजीबद्व करवाया तथा उक्त बैयनामां में वाके चक 1 एमके बी के मु.नं. 22 पं.नं. 122/292 का 2.024 है. मु.नं. 32 प.नं. 122/294 का 0.506 है. में गोपीराम की 1.897 है. भूमि व चक 1 एम.के.ए. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 25 की 2.530 है. भूमि में गोपीराम के 1/4 हिस्सा की 0.632 है. भूमि भी बैय की जानी लिखाई जबकि गोपीराम की चक 1 एम.के.ए. में कोई भूमि ही नहीं थी जिससें भी [illegible] तथाकथित बैयनामा कूटरचित व अवैध है तथा उक्त कूटरचित बैयनामां हम प्रार्थीग[illegible]कारों पर निष्प्रभावी व शून्य है इसके अलावा विवादित भूमि [illegible] सम्पति है तथा हम प्रार्थीगण का विवादित भूमि में बतौर कास्तकार विरा[illegible] हक है तथा गोपीराम स्वयं को या तथाकथित बैयनामां दिनांक 04.05.2010 स्वतः ही AB INTIO VOID है तथा निष्प्रभावी व शून्य घोषित किये जाने योग्य है। अ[illegible]गण संख्या 1 ता 4 व 5 ने षडयंत्र पूर्वक कृत्य को आगे बढ़ाते हुए दिनांक 08.09.2010 को एक

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 16:21:12 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

बैयनामां जिसमें एक जगह गौरादेवी पुत्री मघाराम लिखा हुआ है तथा दुसरी जगह गौरी देवी पुत्री ज्ञानाराम लिखा हुआ है कि जगह प्रतिवादी सं. 6 चावली पुत्री ज्ञानाराम को पेश कर वाके चक 1 एम.के.बी. के मु.नं. 22 की 2.024 है. व मु.नं. 32 की 0.506 है. कुल 2.530 है. मुश्तरका खाता की भूमि में गौरीदेवी का 0.633 है. हिस्सा व चक 1 एम.के.ए. के मु.नं. 25 की मुश्तरका खाता की 2.350 है में गौरीदेवी की 1/4 हिस्सा अर्थात 0.632 है रकबा दोनों खातों की कुल 1.265 है. रकबा का फर्जी व कूटरचित बैयनामा जगदीश पुत्र कालूराम के पक्ष में पंजीबद्ध करवाया जबकि चक 1 एमके ए में गौरा देवी पुत्री मघाराम के नाम से कोई भूमि थी ही नहीं। तथाकथित बैयनामां पर फोटों भी चावली देवी पुत्री ज्ञानाराम की लगी हुई है तथा गौरादेवी पुत्री मघाराम की फोटो नहीं है इसलिए तथाकथित बैयनामां दिनांक 08.09.2010 स्वतः ही AB INTIO VOID है तथा निष्प्रभावी व शून्य घोषित किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 ने उक्त बैयनामांजात के फर्जी व कूटरचित होने के तथ्य को छुपाने के लिये उक्त फर्जी व कूटरचित व निष्प्रभावी व शून्य बैयनामांजात के आधार पर दिनांक 03.06.2021 को जगदीश पुत्र कालूराम व तरसेमसिंह पुत्र मलकीयतसिंह से वाके चक 1 एमके बी के मु.नं. 22 की 0.759 है. व मु.नं. 32 की 0.506 है. कुल 1.265 है. भूमि अप्रार्थी सं. 7 राजेश्वरी देवी पत्नी सुभाषचन्द्र व जरिये दुसरे बैयनामा दिनांक 03.06.2021 प्रार्थी सं. 8 मनोहरी पत्नी राजाराम के नाम से वाके चक 1 एमके बी मु.नं. 22 की 1.265 है. भूमि हस्तान्तरित की जबकि राजेश्वरी व मनोहरी का विवादित भूमि से कोई लेना देना ही नहीं है ये दोनों नुमाईशी खरीददारांन है। वर्तमान में विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार राजेश्वरी व मनोहरी के नाम से है, परन्तु विवादित भूमि पर करीबन पिछले अढाई सालों से गैर अनुसूचित जाति के सदस्यों अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 का अवैध रूप से कब्जा काश्त है तथा उक्त रकबा की पानी की बारी भी अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 ने अपने खाता में अनधिकृत रूप से बन्धवा रखी है उक्त विवादित भूमि स्व.मघाराम के नाम से पुख्ता आवंटित हुई है तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान द्वारा गोपीराम के पक्ष में दस्तबरदार होने के बाद गोपीराम के हक व हिस्सा की भूमि में हम प्रार्थीगण को विरास्तन हक हकूक प्राप्त है सर्वप्रथम तो गोपीराम व गौरादेवी को हिन्दू खानदान की पैतृक भूमि को बैय करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था, द्वितीयतः तथाकथित उपर वर्णित मुख्तयारनामां व बैयनामां गोपीराम व गौरादेवी द्वारा तहरीर व तकमील ही नहीं करवाये गये है उक्त दस्तावेज फर्जी व कूटरचित है तथा फर्जी, कूटरचित व निष्प्रभावी दस्तावेज के आधार पर किये गये समस्त हस्तान्तरण विधि विपरीत प्रभावहीन व शून्य है तथा ऐसे दस्तावेजात के आधार पर अप्रार्थीगण सं. 7 व 8 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। विवादित भूमि में हम प्रार्थीगण का पैतृक व पैदाईशी अधिकार है तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 जिनका विवादित भूमि पर नाजायज कब्जा है उन्हे बेदखल कर विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त करने का हम प्रार्थीगण को विधिक अधिकार है बस यही वादकरण हम प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध हासिल है। अप्रार्थीगण सं. 6 व 7 द्वारा विवादित भूमि [illegible] प्रार्थीगण के नाम से करवाने व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 द्वारा [illegible] दित भूमि से कब्जा हटाने के लिये रबरू पंचायत हम प्रार्थीगण द्वारा दिनांक [illegible] 8.2021 को बमुकाम उड़सर में कहा गया तो अप्रार्थीगण [illegible] तथा धमकी दी कि वे विवादित भूमि को अतिशीघ्र आगे [illegible] तरण करेंगे बस यही तारीख बिनाय मुखास्समत है अगर अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादा में कामयाब होकर उक्त विवादित भूमि को किसी अन्य को रहन बैय अथवा बेचान

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 16:21:12 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

करवा देते है तथा भूमि का कब्जा अन्यत्र सुपुर्द कर देते है तो इससें प्रार्थीगण का पैदायशी हक समाप्त हो जावेगा जिससें प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकशान होगा तथा अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्राओं में नहीं किया जा सकेगा इसलिए प्रार्थीगण उक्त भूमि में अपने अधिकारों की घोषणा करवाकर उक्त भूमि में प्रार्थीगण अपने–अपने विरास्तन हिस्सा भूमि के अपने आपको खातेदार घोषित करवाने व उसी अनुसार रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के विधिक रूप से अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन हम प्रार्थीगण का पूर्ण रूप से सिद्व है कि उक्त विवादित भूमि हिन्दू खानदान कोर्पासरी भूमि है तथा उक्त भूमि पर हम प्रार्थीगण का पैदाईशी हक है तथा हम प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है हमारी उक्त विरास्तन सम्पति पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 जो गैर अनुसूचित जाति (सामान्य जाति)के सदस्य है जिनके द्वारा हरीजन जाति की उक्त भूमि पर अपना अवैध कब्जा कर नाजायज लाभ उठा रहे है तथा मूल वाद के निस्तारण में काफी समय लगने की सम्भावना है इसलिए न्यायहित में विवादित भूमि को कुर्क किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जाकर रिसीवर के सुपुर्द की जानी न्यायोचित है अगर अप्रार्थीगण अपने नापाक ईरादा में कामयाब होकर उक्त विवादित भूमि का रहन, बैय अथवा हस्तारन्तरण कर देते है तो इससे हम प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकशान होगा तथा अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्राओं में नहीं किया जा सकता है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि उक्त विवादित सम्पति वाके चक 1 एम. के. बी. के मु.नं. 22 के कि.नं. 4/0.253, 5/0.177, 6/0.253, 7/0.202, 14/0.253, 15/0.253, 16/0.127, 17/0.253, 18/0.253, कुल 2.024 है. अर्थात 8 बीघा व मु.नं. 32 के कि.नं. 1/0.253, 2/0.253, कुल 0.506 कुल योग 2.530 है. अर्थात 10 बीघा भूमि को कुर्क किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जाकर रिसीवर के सुपुर्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1–5 की तरफ से श्री रणवीरसिंह बिश्नोई अधिवक्ता ने वकालतनामा किया। अप्रार्थी सं. 4–6–7–8 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 2/1 व 2/2 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1–3/1–5 की तरफ से अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि हम अप्रार्थी सं. 1 एवं 3/1 का इस भूमि से कोई सरोकार नही है तथा मुझ अप्रार्थी सं. 5 भजन लाल के पक्ष में स्वयं गोपीराम ने मुख्तारनामा दिया था तथा भूमि बेचान करने के लिए अधिकृत किया था। मुख्तारनामा दिनांक 31.08.2007 रोबरू गवाहान तहरीर करवाकर गोपीराम ने जोगेन्द्र सिंह मोंगा नोटेरी एड. से तस्दीक करवाया था क्योकि गोपीराम कर्ज अदायगी एवं परिवार के पालन पोषण के लिए रूपीयों की सख्त आवश्यकता थी, इसी कारण उसने मुझ भजनलाल के पक्ष में मुख्तयारनामा तहरीर तस्दीक करवाया था। मुख्त[illegible] दिनांक 31.08.2007 मात्र ओर मात्र भूमि बेचान के लिए होश हवास में गोपीराम द्वारा [illegible]कमील करवाया गया था कतई कहने मात्र से फर्जी होना [illegible] अप्रार्थी सं. 5 द्वारा गोपीराम की हार्दिक इच्छा अनुरूप दिनांक 04.05.2010 [illegible] वाके चक 1 एमके ए एवं 1 एमके बी की कृषि भूमि का बेचान [illegible] प्रतिफल प्राप्त कर बैयनामा पंजिबद्व करवाया था तथा पूर्ण प्रतिफल राशि भी गो[illegible]मि एवं उसके वारिसान को कर्जा अदायगी व भरणपोषण एवं उसके वारिसान को कर्जा अदायगी व भरण

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 16:21:12 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

हेतु रोबरू गवाहान अदा की थी। बैयनामा दिनांक 04.05.2010 व
मुख्तारनामा दिनांक 15.05.2009 को महज वश अब 12 वर्ष बाद हम प्रतिवादीगण
को ब्लेकमेल करने की नियत से निष्प्रभावी एवं शून्य बताया जा रहा है गौरीदेवी
पुत्री मघाराम ने स्वयं पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करते हुए दिनांक 08.09.2010 को पूर्ण
होश हवास में उप पंजीयक के समक्ष पेश होकर बैयनामा जगदीश पुत्र कालूराम
के पक्ष में पंजीबद्ध करवाया है। उपरोक्त जगदीश पुत्र कालूराम तरसेमसिंह पुत्र
बलकीयतसिंह अपनी आराजी वाके चक 1 एमके ए एवं 1 एमके बी के खातेदार
थी जिन्होनें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अप्रार्थी सं. 7 राजेश्वरी एवं
अप्रार्थी सं. 8 मनोहरी के पक्ष बैयनामा करवाकर उनकों उपरोक्त कृषि भूमि का
कब्जा उन्हे सौपा है इस प्रकार अब प्रतिवादी सं. 7 एवं 8 उपरोक्त भूमि के
खातेदार है तथा शान्तिपूर्व काश्त कर रहे है। कब्जा प्रति. सं. 7 एवं 8 के पास
है गोपीराम एवं गौरा ने अपनी घरेलू जरूरतों के लिए अपनी कृषि भूमि विक्रय
की है तथा पूर्ण प्रतिफल हासिल किया है चुकिं प्राप्त प्रतिफल को गौरा देवी व
गोपीराम ने अपने परिवार के कर्जा अदायगी में प्रयोग किया है इस कारण उनके
वारिसान को अब आधारहीन प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है।
वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 7 एवं 8 साधिकार काबिज है हम अप्रार्थीगण को
अब इस कृषि भूमि से कोई सरोकार नहीं है। वाद पत्र को बल देने के लिए झुठे
तथ्य दर्ज किये है। प्रार्थीगण को 12 वर्ष से अधिक पुराने दस्तावेजों को चैलेंज
करने का कानूनन भी कोई अधिकार नहीं हैं रिकार्ड खातेदार होने के कारण
मामला प्रार्थीगण के पक्ष में होकर अप्रार्थी सं. 7–8 के पक्ष में साबित है तथा
सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी सं. 7–8 के पक्ष में साबित हुए है। वादग्रस्त भूमि
पर अप्रार्थी सं. 7–8 रिकार्ड खातेदार होकर काबिज है तथा काश्त कर रहे है
इस कारण कब्जा बहक सरकार बिना किसी कानूनी अधिकार के लिए जाना
कतई न्यायोचित नहीं है। अप्रार्थी सं. 7–8 रिकार्ड खातेदार होने के कारण
प्रार्थीगण को कोई प्रति का अदेशं नहीं है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर
निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन एवं मियाद बाहर होने के
कारण प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी सं. 7 व 8 की
तरफ अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पैतृक भूमि में प्रार्थीगण के अधिकारों की घोषणा बाबत विधिक
रूप से प्रस्तुत किया गया है प्रति. सं. 5 भजनलाल के पक्ष में प्रार्थीगण के पूर्वज
गोपीराम ने स्वयं पूर्णरूप से बैध मुख्तयारनामा लिखवाकर तस्दीक करवाया था
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अगर दिनांक 31.08.2007 को कोइ फर्जी
दस्तावेज तैयार होता तो विगत 17 वर्षों तक प्रार्थीगण ने कोई फौजदारी
कार्यवाही प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के विरूद्ध क्यों नही की गई। तरसेमसिंह नाम
से बैयनामा पूर्णरूपेण बाद जांच पंजीबद्व हुआ था यहां यह भी उल्लेखनीय है
गोपीराम को अपने परिवार के भरण पोषण एवं पुत्रीयों प्रार्थीगण सं. 4 व 5 की
शादी के लिए धन राशि की आवश्यकता के चलते कृषि भूमि का बेचान किया
गया था अब प्रार्थीगण के मन में बेईमानी आने का कारण प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों
के साथ पेश किया है यहां यह भी महत्वपूण है कि बैयनामा दिनांक 04.05.2010
व मुख्तारनामा दिनांक 15.05.2009 को महज वश अब 14 वर्ष बाद हम
अप्रार्थीगण को ब्लेकमेल करने की नियत से निष्प्रभावी एवं शून्य बताया जा रहा
है हम अप्रार्थीगण सं. 7 व 8 स्वयं काश्त ... दिनांक 03.06.2021 को
जगदीश पुत्र कालूराम एवं तरसेमसिंह ... खरीद की है जिस पर हम
काबिज होकर हमारे पुत्र/पति सुभाषचन्द्र के सहयोग से काश्त कर रहे है यह
यह भी उल्लेखनीय है कि हम अप्रार्थीगण सं. 7 व 8 के ससुर/प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 16:21:12 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

...राम राजकीय सेवा (शिक्षा विभाग) से सेवानिवृत हुए थे, जिन्हे बाद सेवानिवृति के पश्चात मिली ग्रेजवटी, जीपीएफ फण्ड की राशि व पहले की बचत से यह कृषि भूमि पूर्ण किमत अदा कर जगदीश एवं तररोमरिंह से क्रय की। कब्जा प्रति. सं. 7 एवं 8 के पास है गोपीराम एवं गौरा ने अपनी घरेलू जरूरतों के लिए अपनी कृषि भूमि विक्रय की है तथा पूर्ण प्रतिफल हासिल किया है चुकिं प्राप्त प्रतिफल को गौरा देवी व गोपीराम ने अपने परिवार के कर्जा अदायगी में प्रयोग किया है अपनी पुत्रीया प्रार्थीगण सं. 4 व 5 की शादी करने के लिए भूमि विक्रय की थी। रिकार्ड खातेदार होने के कारण मामला प्रार्थीगण के पक्ष में होकर अप्रार्थी सं. 7–8 के पक्ष में साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी सं. 7–8 के पक्ष में साबित हुए। वादग्रस्त भूमि पर आप्रार्थी सं. 7–8 रिकार्ड खातेदार होकर काबिज है तथा काश्त कर रहे है इस कारण कब्जा बहक सरकार बिना किसी कानूनी अधिकार के लिया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। अप्रार्थी सं. 7–8 रिकार्ड खातेदार होने कारण प्रार्थीगण के पक्ष में कोई अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो हमे अप्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसका मुल्यांकान किया जाना संभव नहीं होगा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन एवं मियाद बाहर होने के कारण प्रारंम्भिक स्तर पर ही खारिज फरमावे।

अधिवक्ता के निवेदन करने पर मौका रिकार्ड की जांच करने हेतु तहसीलदार रायसिंहनगर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांकः राजस्व/2025/805/ दिनांक 15.05.2025 से अवगत कराया कि चक 1 एम.के. के मु.नं. 22 व 32 में मौके पर वादी सजना पुत्री गोपीराम तथा चक के चंद मौतविरान व मु.नं. 22 के पड़ौसी काश्तकार तथा प्रतिवादी राजेश्वरी व मनोहरी मौके पर उपस्थित थी मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 1 एम.के. बी. खाता संख्या 126 मु.नं. 22 कि.नं. 14/2/0.126, 16/1/0.127, 17–18 सालम–सालम, मु.नं. 32 कि.नं. 1–2/0.506 कुल 1.250 है. भूमि राजेश्वरी देवी पत्नी सुभाषचन्द्र जाति मेघवाल व इसी चक के खाता सं. 29 मु.नं. 22 कि.नं. 4/.253, 5/.177, 6/.253, 7/.202, 14/1/0.127, 15/0.253 कुल 1.265 है. भूमि मनोहरी देवी पत्नी राजाराम जाति मेघवाल साकिन उड़सर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है मौके पर उपस्थित प्रतिवादी मनोहरी व राजेश्वरी एवं उपस्थित श्री प्रमोद कुमार पुत्र वेदप्रकाश ने बताया कि लगभग 3–4 साल से आज दिनांक तक कब्जा मनोहरी व राजेश्वरी का ही है जिसकी पुष्टि मौके पर उपस्थित मु.नं. 22 के खेत पड़ौसी श्री रामरतन पुत्र श्री बीरबलराम, निहालचंद पुत्र रिछपाल जाति बिश्नोई व रामचंद पुत्र देवीलाल जाति बिश्नोई द्वारा की गई। वादीगण सजना पुत्री गोपीराम जाति नायक व अन्य उपस्थित श्री सोमदत्त पुत्र रामकुमार जाति बिश्नोई ने पूछताछ के दौरान बताया कि विगत 3–4 साल पहले उक्त रकबा पर कब्जा भजनलाल पुत्र पतराम आदि जाति बिश्नोई का था।

4. बहस पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व कमीश्नर की मौका रिपोर्ट [illegible] पर विवादित भूमि को कुर्क किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिया [illegible] कर [illegible] रिसीवर के सुपुर्द किया जावे। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा मौका [illegible] की मौका रिपोर्ट से साबित होता है इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र [illegible] खारिज किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 15:21:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

बहस पक्षकारान के अधिववक्तगण का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। विवादित भूमि के संबंध में मौका कमीश्नर द्वारा भी अवगत कराया गया है कि चक 1 एम.के. बी की विवादित भूमि मौके पर अप्रार्थी मनोहरीदेवी व राजेश्वरीदेवी के नाम रिकार्ड में दर्ज है परन्तु प्रार्थी एवं अन्य काश्तकार ने अवगत कराया कि विगत 3–4 साल पहले विवादित भूमि पर भजनलाल पुत्र पतराम जाति बिश्नोई का कब्जा था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं मौका कमीश्नर की जांच रिपोर्ट से भी साबित नहीं होता है कि मौका पर कब्जा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का है उक्त बिन्दूओ का निस्तारण मूलवाद में तनकीयात कायम कर दोनों पक्षों के साक्ष्य लिये जाकर मेरिट के आधार पर तय किया जाना है। फिलहाल स्थगन प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जाना है। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम से है। जिसका फायदा उठाकर उक्त भूमि बेचान किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को न होकर प्रार्थीगण को होगा। भूमि का बेचान होने पर अनावश्यक रूप से विवाद बढेगा।विवादित भूमि अप्रार्थीगण के द्वारा बेचान कर दी जाती है तो इसे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को न होकर प्रार्थीगण को होगी जिसका ना पूरा होने वाले नुकसान की भरपाई मुद्राओ में नहीं आकी जा सकेगी। तथा ऐसे मेंसुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष प्रतीत होता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। ऐसे में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने की मांग की है रिसीवर नियुक्त कठोर कार्यवाही होगी। अतः मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है चक 1 एम. के. बी. के मु.नं. 22 के कि.नं. 4/0.253, 5/0.177, 6/0.253, 7/0.202, 14/0.253, 15/0.253, 16/0.127, 17/0.253, 18/0.253, कुल 2.024 है. अर्थात 8 बीघा व मु.नं. 32 के कि.नं. 1/0.253, 2/0.253, कुल 0.506 कुल योग 2.530 है. अर्थात 10 बीघा भूमि को किसी प्रकार से रहन बैय हंस्तारित ना करें तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थितिबनाये रखे व ऐसा कोई कृत्य ना करें जिसे प्रार्थीगण को नुकसान होता पत्रावली निर्णित होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

आदेश आज दिनांक 01.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
रायसिंहनगर
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 15:21:12 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner